

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय मुण्डावर

पीठासीन अधिकारी— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या
434/2020

रजू दिनांक
28/10/2020

निर्णय दिनांक
11/12/2021

1. निरजंनलाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी अजीजपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0

प्रतिवादी

2. हरिप्रसाद पुत्र रामस्वरूप
3. हमीचन्द पुत्र रामस्वरूप
4. किशनी पुत्री रामस्वरूप
5. सावित्री पुत्री रामस्वरूप
6. माया पुत्री रामस्वरूप
7. राजो पुत्री रामस्वरूप
8. लक्ष्मी पुत्री रामस्वरूप
9. दया पुत्री रामस्वरूप जातियान जाटव निवासीयान अजीजपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

तर0 प्रतिवादीगण


दावा— इश्तकरारहक मय दूरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थिति— श्री मदनलाल सॉवरिया एडवोकेट वकील वादी

निर्णय

दिनांक 11/12/2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय मुण्डावर में पेश हुयी, वकील वादी उपस्थित आये तथा वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0न0 186/054, 187/0.45, 188/0.03, 189/0.03, 190/0.40, 191/0.44, 200/0.29, 201/0.16, 202/0.22 हैव0, का 1/12भाग व 327/0.16, 329/0.27, 330/0.20, 340/0.29 हैव0, का 1/6 भाग व 30/0.40 हैव0, का 1/3भाग दर 2/3हिस्सा व 4/0.06, 6/0.13, 7/0.10, 9/0.29, 10/0.22, 23/0.25, 29/0.14, 33/0.28, 66/0.22, 75/0.25, 76/0.32, 78/0.23, 79/0.24, 110/0.14, 113/0.14, 214/0.09, 346/0.32, 410/0.03, 411/0.49, 700/0.15, 811/0.23, 812/0.22, 813/0.24, 822/0.49, 880/222/0.10, 912/778/0.11, 916/807/0.13, 918/808/0.10 हैव0, का 1/6 भाग वाके ग्राम अजीजपुर तह0 मुण्डावर में स्थित होकर मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता रामस्वरूप पुत्र मंगली को प्राप्त हुयी, जो दिनांक 15/6/81 को राजस्व कैम्प कोर्ट बेहरोज में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के दादा मंगली पुत्र चौखला उर्फ चौखिया का विरास्त इन्तकाल स0 114 मिन वादी व तर0 प्रतिवादी के पिता रामस्वरूप व मिन वादी के दादा के अन्य वारिसान के नाम दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून पिता का नाम रामस्वरूप के बजाय दादा के अन्य वारिसान के नाम दर्ज कर दिया, जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में पिता का ठण्डू दर्ज कर दिया, जाति जाटव के स्थान पर चमार दर्ज कर दिया, जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम ठण्डू दर्ज हो गया तथा जाति चमार दर्ज हो गयी, जबकी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता का नाम समस्त दस्तावेजात में रामस्वरूप पुत्र मंगली व जाति जाटव दर्ज रहा है तथा मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के समस्त दस्तावेजात में भी बल्दीयत रामस्वरूप व जाति जाटव दर्ज है, का अंकन करते हुये उपरोक्त विवादित आराजीयत के बाबत दर्ज रिकॉर्ड में मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता का नाम ठण्डू पुत्र मंगली को हजफ किया जाकर रामस्वरूप पुत्र मंगली दर्ज किये जाने व जाति चमार को हजफ कर, जाति जाटव दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।


सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादी की वाद विधिवत तलवी प्रतिवादी स0 2 ल0 9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लगी गयी तथा प्रतिवादी स0 1 द्वारा बार बार अवसर उपरान्त जवाब प्रस्तुत नही करने की स्थिति में जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईट में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट ग्राम पंचायत बेहरोज, प्रदर्श-1, मृत्यु प्रमाण पत्र रामस्वरूप प्रदर्श-2, मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्यारी प्रदर्श-3, रिपोर्ट ग्राम पंचायत बेहरोज प्रदर्श-4, शपथ पत्र प्रदर्श-5, वोटर आई डी रामस्वरूप प्रदर्श -6, भामाशाह कार्ड प्रदर्श-7, आधार कार्ड प्रदर्श-8, नकल जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 किता 2 प्रदर्श-9, नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 ल0 2073 किता 5 प्रदर्श-10, पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र निरंजनलाल पी.डब्लू -1, रतिराम पी डब्लू-2, सुरेशचन्द पी डब्लू-3 पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की ध्यान पूर्वक बहस सुनी गयी। द्वौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुये विवादित आराजीयत के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे वादी व तर0 प्रतिवादी के पिता का नाम ठण्डू पुत्र मंगली को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मंगली दर्ज किये जाने एवं दर्ज हो रही जाति चमार को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर जाति जाटव दर्ज किये जाने का अभिकथन किया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा हाल ख0न0 186/054, 187/0.45, 188/0.03, 189/0.03, 190/0.40, 191/0.44, 200/0.29, 201/0.16, 202/0.22 हैव0, का 1/12भाग व 327/0.16, 329/0.27, 330/0.20, 340/0.29 हैव0, का 1/6 भाग व 30/0.40 हैव0, का 1/3भाग दर 2/3हिस्सा व 4/0.06, 6/0.13, 7/0.10, 9/0.29, 10/0.22, 23/0.25, 29/0.14, 33/0.28, 66/0.22, 75/0.25, 76/0.32, 78/0.23, 79/0.24, 110/0.14, 113/0.14, 214/0.09, 346/0.32, 410/0.03, 411/0.49, 700/0.15, 811/0.23, 812/0.22, 813/0.24, 822/0.49, 880/222/0.10, 912/778/0.11, 916/807/0.13, 918/808/0.10 हैव0, का 1/6 भाग वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर के बाबत के दुरुस्ती के वाद को वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वाद वादी डिकी किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयत के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता के नाम ठण्डू पुत्र मंगली के नाम को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मंगली एवं रिकॉर्ड में अंकित जाति चमार को हजफ किया जाकर, जाति जाटव दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्दानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 11/12/2021 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर, न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, मजमें आम में सुनाया गया।


(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला अलवर, राजस्थान
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय मुण्डावर

पीठासीन अधिकारी:- पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या
434 / 2020

रजू दिनांक
28 / 10 / 2020

निर्णय दिनांक
11 / 12 / 2021

1. निरजंनलाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी अजीजपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0

प्रतिवादी

- हरिप्रसाद पुत्र रामस्वरूप
- हमीचन्द पुत्र रामस्वरूप
- किशनी पुत्री रामस्वरूप
- सावित्री पुत्री रामस्वरूप
- माया पुत्री रामस्वरूप
- राजो पुत्री रामस्वरूप
- लक्ष्मी पुत्री रामस्वरूप
- दया पुत्री रामस्वरूप जातियान जाटव निवासीयान अजीजपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर


तर0 प्रतिवादीगण

दावा- इश्तकरारहक मय दूरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड

-: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से एडवोकेट श्री मदनलाल सौंवरिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/12/2021 को पंकज बडगूजर सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय मुण्डावर मे अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :- हाल खन0 186/054, 187/0.45, 188/0.03, 189/0.03, 190/0.40, 191/0.44, 200/0.29, 201/0.16, 202/0.22 हैव0, का 1/12भाग व 327/0.16, 329/0.27, 330/0.20, 340/0.29 हैव0, का 1/6 भाग व 30/0.40 हैव0, का 1/3भाग दर 2/3हिस्सा व 4/0.06, 6/0.13, 7/0.10, 9/0.29, 10/0.22, 23/0.25, 29/0.14, 33/0.28, 66/0.22, 75/0.25, 76/0.32, 78/0.23, 79/0.24, 110/0.14, 113/0.14, 214/0.09, 346/0.32, 410/0.03, 411/0.49, 700/0.15, 811/0.23, 812/0.22, 813/0.24, 822/0.49, 880/222/0.10, 912/778/0.11, 916/807/0.13, 918/808/0.10 हैव0, का 1/6 भाग वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर के बाबत के दुरुस्ती के वाद को वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता के नाम ठण्डू पुत्र मंगली के नाम को हजफ किया जाकर, उसके स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मंगली एवं रिकॉर्ड में अंकित जाति चमार को हजफ किया जाकर, जाति जाटव दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।


(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला अलवर, राजस्थान

**सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0**